

आगे का पं. वादी  
नहीं था

29.01.2025 फावली पेश हुई।

अधिकृत उभयपक्ष उपस्थित / अधिकृत।

पं. जीवाम

वादीगण एवं वादी जीवाम ने अपने दावे  
की जरिये नोट उएस में खारिज करने का  
निवेदन किया।

4

अतः अधिकृत वादीगण एवं वादी जीवाम  
के निवेदन पर दावा अंतर्गत धारा 88,  
188 राजस्थान कृषकरी अधिकृत में इसी  
स्तर पर जरिये नोट उएस खारिज किया  
जाता है।

फावली फैसल सुभार लेकर मुंका  
वे एउ कुम की नाकर हाकिम दफतर है।

सहायक कलेक्टर एवं कां.पालक मजिस्ट्रेट  
(फास्टट्रेक) सांचौर

